# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

## –:: आदेश ::–

क्रमांक– 525 /दो–11–3/2024 बिलासपुर, दिनांक 30 **जुलाई, 2025**

इस स्थापना में भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक–311/दो–12–48/2007, बिलासपुर, दिनांक 09–01–2025 के संदर्भ में चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को **"भृत्य"** के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (15600–49400) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

| **क्रमांक** | **चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता** | **वर्ग** | **नियुक्ति का पद** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | श्री नरेन्द्र कुमार घृतलहरे, पिता श्री कार्तिक राम घृतलहरे, पता–वार्ड नंबर–8, चित्रकांत जायसवाल नगर, इन्द्रपुरी नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ0ग0) 495223 | अनुसूचित जाति (दिव्यांग) | **भृत्य** |

**नियुक्ति की शर्तें :–**

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो–दो स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को **दिनांक 18–08–2025** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाती है अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

30/07/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठांकन कमांक–1450/दो–11–3/2024 बिलासपुर, दिनांक 30 **जुलाई, 2025**

**प्रतिलिपि :–**

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक–1931/तीन–18–29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12–03–2013 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
3. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

   **की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
4. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय, बिलासपुर की बेवसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. श्री नरेन्द्र कुमार घृतलहरे, पिता श्री कार्तिक राम घृतलहरे, पता–वार्ड नंबर–8, चित्रकांत जायसवाल नगर, इन्द्रपुरी नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ0ग0) 495223 **की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)